



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082026-275128
CG-DL-E-03082026-275128

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 3, 2026/श्रावण 12, 1948

No. 33]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 3, 2026/SHRAVAN 12, 1948

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2026

का.नि.आ. 33(अ).— केन्द्रीय सरकार, रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 का VII) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र भाग II, खंड 4, तारीख 19 जून, 1976 में प्रकाशित भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.नि.आ.150 तारीख 15 मई, 1976 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, घोषणा करती है कि महाराष्ट्र राज्य के बम्बई जिले में स्थित और इसमें अनुसूची में वर्णित भूमि, जो महाराष्ट्र राज्य में जुहू, मुम्बई स्थित सिग्नल ट्रांसमिटिंग स्टेशन के सामीप्य में है, के इस्तेमाल और उपयोग पर उक्त अधिनियम की धारा 7 के खंड (ग) में पहले से ही विनिर्दिष्ट निर्बंधनों को अधिरोपित करना जारी रखना आवश्यक है ताकि उक्त भूमि को भवनों और अन्य अवरोधों से मुक्त रखा जा सके।

2. उक्त निर्बंधन राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

3. उक्त भूमि की स्केच योजना का निरीक्षण उप-मंडल अधिकारी, भवन एवं सड़क, सांता क्रूज, जिला मुंबई के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

यह सारी भूमि, महाराष्ट्र राज्य में जुहू, मुंबई स्थित सिग्नल ट्रांसमिटिंग स्टेशन की बाहरी मुंडेर के शिखर से एक सौ मीटर की दूरी के भीतर स्थित क्षेत्र से मिलकर बनी है।

[फा. सं. 13020/51/2026/रक्षा (भूमि)]

प्रीति मीणा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd August, 2026

S.R.O. 33(E)— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Works of Defence Act, 1903 (VII of 1903), and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Defence, number S.R.O. 150, dated the 15th May, 1976, published in Gazette of India, Part II, Section 4, dated the 19th June, 1976, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby declares that it is necessary to continue to impose restrictions, specified in clause (c) of section 7 of the said Act upon the use and enjoyment of the land situated in the District of Bombay, in the State of Maharashtra, described in the Schedule herein, being land lying in the vicinity of the Signal Transmitting Station at Juhu, Mumbai, in the State of Maharashtra, in order that the said land may be kept free from buildings and other obstructions.

2. The said restrictions shall come into force from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. A sketch plan of the said land may be inspected in the office of the Sub-Divisional Officer, Buildings and Roads, Santa Cruz, Mumbai District.

SCHEDULE

All the land comprised in the area lying within a distance of one hundred meters from the crest of the outer parapet of the Signal Transmitting Station, Juhu, Mumbai, in the State of Maharashtra.

[F. No. 13020/51/2026/D(Lands)]

PREETI MEENA, Jt. Secy.